न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि./2689/I/15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–मुरैना

श्री दिवाकर दीक्षित, अभि० द्वारा आज दि. 20.8.15 को प्रस्तुत
कार्यालय अधीक्षक
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामनरेश सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
निवासी– रामचन्द्र का पुरा मौजा रजौधा,
तहसील–पोरसा, जिला–मुरैना (म.प्र.)
...... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना
...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2014–15/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, नायब तहसीलदार के समक्ष पटवारी हल्का नं. 33 द्वारा आवेदक के विरूद्ध भूमि खसरा क्रमांक 2826 रकबा 0.021 सम्बत् 2071 में अतिक्रमण करने बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और आवेदक को प्रकरण में कोई सूचना पत्र दिये बिना ही पारित आदेश दिनांक 28.08.2014 को मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत ग्राम राजौधा की भूमि खसरा नं. 2826 रकवा 0.021 से निष्कासित किये जाने एवं 200 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया।
2. यहकि, तहसीलदार पोरसा द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 13.10.2014 को यह आदेश पारित किया। कि मौजा पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि अतिक्रमणकर्ता द्वारा मौके पर अतिक्रमण नही हटाया गया है इसलिये सिविल जेल की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 3 दिवस हेतु अतिक्रमण हटाये जाने हेतु सिविल जेल का नोटिस जारी हो।
3. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की। ... में आवेदक उपस्थित हुआ और उसके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया।

XXIX(a)-BR(H)-11

(263)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2689-एक/15 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	